



भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र



पोस्ट : ईसीआईएल
हैदराबाद-500 062



“सरकार का प्रयास एक ऐसा कार्यदल तैयार करना है जिसमें लैंगिक संतुलन झलकता हो और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए”

विज्ञापन सं. एनएफसी/02/2018

जर्कोनियम परिसर, पलयकायल, तूतीकोरिन जिला, तमिलनाडु (नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद की एक इकाई) भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत औद्योगिक स्थापना में निम्नलिखित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को, नियुक्ति पर, भारत के विभिन्न भागों में स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाइयों में तैनात किया जा सकता है। पदों का विवरण और इन पदों हेतु विनिर्धारित मानक निम्नानुसार हैं :

पद कूटांक	21801	
पद का नाम	तकनीकी अधिकारी/डी (कैमिकल)	
सेवा का वर्ग	ग्रुप-ए (राजपत्रित) - वैज्ञानिक	
रिक्तियों की संख्या	03- (अनारक्षित)	
वेतन	रु.67,700/- (वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 के सेल नं.1 मे) + केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य सामान्य भत्ते	
पात्रता		
राष्ट्रीयता	अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए	
आयु	आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष	
शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव	शैक्षिक योग्यताएँ	अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने के बाद कुल वर्षों का अनुभव
	न्यूनतम 60% अंकों सहित कैमिकल इंजीनियरिंग में बी.ई/बी.टेक.	कैमिकल/पेट्रो कैमिकल/मेटालर्जिकल इंडस्ट्री में 04 वर्षों का प्रचालन अनुभव
पद कूटांक	21802	
पद का नाम	तकनीकी अधिकारी/डी (मैकेनिकल)	
सेवा का वर्ग	ग्रुप-ए (राजपत्रित) - वैज्ञानिक	
रिक्तियों की संख्या	01- (अनारक्षित)	
वेतन	रु.67,700/- (वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 के सेल नं.1 में) + केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य सामान्य भत्ते	
पात्रता		
राष्ट्रीयता	अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए	
आयु	आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष	
शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव	शैक्षिक योग्यताएँ	अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने के बाद कुल वर्षों का अनुभव
	न्यूनतम 60% अंकों सहित मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई/बी.टेक.	कैमिकल/पेट्रो कैमिकल/मेटालर्जिकल इंडस्ट्री में अनुरक्षण कार्य में 04 वर्षों का अनुभव
उपरोक्त पदों के लिए साक्षात्कार बोर्ड की संस्तुति पर असाधारण गुणों वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 05 अतिरिक्त वेतन वृद्धियों पर विचार किया जा सकता है।		

<p>चयन प्रक्रिया:</p> <p>अभ्यर्थी का चयन मात्र साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा। हालांकि, अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में अर्हक परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले तथा अधिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए छांटा जाएगा (या) पात्र अभ्यर्थियों का उपयुक्त कट-आफ अंकों जिसका निर्णय बाद में किया जाएगा सहित एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखा जाएगा।</p> <p>अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन मात्र पर निर्भर होगा।</p>
--

<p>आवेदन शुल्क : “ भुगतान एवं लेखा अधिकारी, एनएफसी” के पक्ष में हैदराबाद में आहरित और रु.500/- के डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाए।</p>	<p>अ.जा./अ.ज.जा./ महिला अभ्यर्थियों और भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क से छूट प्राप्त है। इस संबंध में अ.जा./अ.ज.जा. भूतपूर्व सैनिकों द्वारा प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन प्रस्तुत करते समय संलग्न की जानी चाहिए।</p>
---	--

सामान्य अनुदेश

1. पद कूटांक: 21801 और 21802 में वर्णित पद विकलांगों (दिव्यांगजन) के लिए योग्य नहीं पाए गए हैं।
2. पदों के लिए नियुक्ति, विभाग द्वारा मेडिकल जाँच के अधीन होगी।
3. चयन एवं नियुक्ति होने पर, अभ्यर्थियों को स्थिति के अनुसार दिन-रात की पाली में काम करना पड़ सकता है।
4. केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकायों के अधीन कार्यरत व्यक्तियों को साक्षात्कार के समय “अनापत्ति प्रमाणपत्र” प्रस्तुत करना होगा।
5. पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता और अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने के बाद जरूरी न्यूनतम वर्षों का अनुभव रखना अनिवार्य है।
6. विभागीय अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन करने की अंतिम तिथि तक विभाग में इसी लाइन या सम्बद्ध कैंडर में न्यूनतम तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूरी की है तो वे निर्धारित आयु सीमा से अधिकतम 5 वर्षों की छूट प्राप्त करने के हकदार हैं।
7. **भूत-पूर्व सैनिक :**
भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक यानि वह व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की थल सेना, नौसेना अथवा वायु सेना की नियमित सेवा में योद्धा अथवा अयोद्धा के रूप में किसी भी पद पर कार्य किया हो और
 - i) जो ऐसी सेवा से अपनी पेंशन प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हुए/हुई है। इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपनी पेंशन प्राप्त करने के बाद अपने अनुरोध पर सेवा निवृत्त हुए हैं/किए गए हैं; (या)
 - ii) जो ऐसी सेवा से सेना में सेवा योग्य न रहने/ऐसी परिस्थिति जो उनके नियंत्रण में न हो, के वश चिकित्सा आधार पर कार्य मुक्त किए गए हों; (या)
 - iii) वे ऐसी सेवा से उनके अपने अनुरोध के बिना ही स्थापना में स्टाफ कम करने की नीति के परिणामस्वरूप कार्य मुक्त किए गए हों; (या)
 - iv) वे ऐसी सेवा से उनके अपने अनुरोध के बिना ही विनियोजन की विशेष अवधि पूरी करने के उपरांत कार्य मुक्त किए गए हों अथवा कदाचार या अयोग्यता के कारण बर्खास्त या कार्यमुक्त किए गए हों और उन्हें ग्रेचुइटी दी गई हो। इसमें प्रादेशिक सेना की निम्नलिखित श्रेणियों के कार्मिक भी शामिल हैं यथा :
 - क) लगातार पूर्ण की गई सेवा के लिए पेंशनधारक; और
 - ख) वीरता पुरस्कार विजेता

8. दिनांक 1/1/1980 से 31/12/1989 तक की अवधि के दौरान आमतौर पर कश्मीर संभाग के जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे सभी व्यक्ति, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पाने के हकदार होंगे बशर्ते छूट किसी परीक्षा में भाग लेने के लिए संबंधित नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय अधिकतम अवसरों की संख्या के अनुसार हो।
आवास के प्रमाण के संबंध में प्रमाण-पत्र - कोई व्यक्ति आयु सीमा में छूट का लाभ उठाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा :
क) कश्मीर संभाग के जिला मजिस्ट्रेट जिसके अधिकार क्षेत्र में उसने साधारणतया निवास किया हो; (या)
ख) इस कार्य के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा पदस्थापित कोई अन्य प्राधिकारी जो यह प्रमाणित करें कि दिनांक 01/01/1980 से 31/12/1989 की अवधि के दौरान उसने (अभ्यर्थी ने) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में साधारणतया निवास किया था।
9. ऐसे व्यक्ति के बच्चों/परिवार के सदस्यों को जिनकी वर्ष 1984 के दंगे में मृत्यु हुई थी, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
10. विज्ञापन में निर्धारित अनुभव की अवधि की गणना आवेदन प्राप्त करने की अंतिम अवधि दिनांक 07/12/2018 तक की जाएगी।
11. चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती जर्कोनियम परिसर (पलयकालय), तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में की जाएगी। हालांकि, उन्हें सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार से भारत के किसी भी भाग में, परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में भेजा जा सकता है।
12. **आयु** : आयु की गणना इस विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक की जाएगी जैसे कि 07.12.2018
13. ऐसे आवेदन जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते होंगे, किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिए जाएंगे। ऐसे किसी भी अभ्यर्थी से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
14. आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के पास आवश्यक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से शैक्षिक योग्यता और संबद्ध अनुभव होना चाहिए।
15. अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता के समर्थन में स्वयं द्वारा प्रमाणित मूल प्रमाण पत्र और अंक विवरणिका (सभी सत्रों की) और उनकी प्रमाणित प्रतियाँ, तथा उस संगठन से जहां अभ्यर्थी ने आखिरी बार सेवा की थी की स्वयं द्वारा प्रमाणित अपेक्षित अनुभव की प्रतियाँ संलग्न करे। साक्षात्कार के समय उपर्युक्त प्रमाण-पत्र मूल रूप से पड़ताल के लिए प्रस्तुत करने होंगे या बाद में दिए गए निदेशानुसार यदि कोई, हो तो।
16. अभ्यर्थियों को उनके आवेदन-पत्र में दी गई सूचना के आधार पर परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे पद के लिए आवेदन देने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पात्रता के सभी मानदंड पूरे करते हैं। इसलिए, अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदन पत्र में सारी सूचनाएँ सही भरें और इस बात को समझें कि गलत सूचना देने पर उन्हें भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
17. नियुक्ति के उपरांत वे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं. 5/7/2003-ईसीबी एवं पीआर के अंतर्गत लागू नई अंशदायी पेंशन योजना से शासित होंगे।

18. नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, बिना कोई कारण बताए सभी पदों को भरने या उनकी संख्या में परिवर्तन करने या फिर भर्ती की सम्पूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार रखता है।

19. यात्री भत्ता

चयन परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बाहर से बुलाए गए अ.जा./अ.ज.जा. के बेरोजगार अभ्यर्थियों को नियमानुसार लघुतम मार्ग से उनके सामान्य निवास से परीक्षा केंद्र तक जाने और वापस आने की यात्रा के लिए रेलवे के द्वितीय श्रेणी (सामान्य) के सिंगल किराए के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके लिए उन्हें एमपी/एमएलए/राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया बेरोजगार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि रियायती टिकट उपलब्ध हैं तो वापसी यात्रा की प्रतिपूर्ति रियायती वापसी किराया के हिसाब से ही की जाएगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अपने दावे वेबसाइट में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में भर कर अ.जा./अ.ज.जा. के प्रमाण- पत्र की प्रतिलिपि, टिकटों तथा बेरोजगार प्रमाण-पत्र के साथ प्रतिपूर्ति हेतु परीक्षा स्थल पर प्रस्तुत करें।

आवेदन कैसे करें

1. अभ्यर्थी वेबसाइट www.nfc.gov.in से आवेदनपत्र डाउनलोड करें और A4 आकार के कागज पर काली/नीली स्याही वाले पेन या टाइपराइटर से A4 आकार के कागज पर विवरण साफ अक्षरों से भर दें। विधिवत भरे हुए आवेदन एक लिफाफे में डालें और उस लिफाफे के ऊपर "तकनीकी अधिकारी 'डी' (_____), पद कूट: _____ के लिए आवेदन-पत्र, विज्ञापन सं.एनएफसी/02/2018" लिखें।
2. आवेदन पत्र के दाहिने कोने के ऊपर हाल ही में ली हुई पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ चिपकाएँ और उस पर हस्ताक्षर करें।
3. अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे आवेदन के साथ निम्नलिखित स्वसत्यापित कागजात प्रस्तुत करने होंगे :
 - (क) शैक्षणिक अर्हकता के संबंध में दसवीं कक्षा से आरंभ करते हुए सभी प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ और उनकी समुचित अंक विवरणिका।
 - (ख) अनुभव प्रमाण-पत्र जिसमें अनुभव का क्षेत्र स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो।
 - (ग) जन्मतिथि के समर्थन में प्रमाणपत्र की प्रति (जन्मतिथि प्रमाणपत्र या माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र)।
 - (घ) अ.जा./अ.ज.जा. का दावा यदि किया गया है तो इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र।
 - (ङ) भूतपूर्व सैनिक सेवा के संबंध में सेवामुक्ति प्रमाण-पत्र की प्रति ।
 - (च) केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत अभ्यर्थियों को उनके कार्यालय को सूचित करने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। हालांकि साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को उनके वर्तमान नियोजक द्वारा जारी किया गया "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - (छ) अभ्यर्थी के 1984 के दंगों से प्रभावित होने का प्रमाण (यदि आयु में छूट प्राप्त करनी हो तो)।
 - (ज) दिनांक 01.01.1980 से 31.12.1989 तक काश्मीर संभाग का निवासी होने का प्रमाण (यदि काश्मीर संभाग के लिए आयु में छूट प्राप्त करना है तो)
 - (झ) आवेदन शुल्क के लिए डिमांड ड्राफ्ट (अगर लागू हो तो)

4. निर्धारित प्रोफार्मा में उपर्युक्त वांछित कागजातों के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र लिफाफे में डालकर, लिफाफे के ऊपर ("विज्ञापन सं.एनएफसी/02/2018 के प्रति तकनीकी अधिकारी 'डी'(_____), पद कूट: _____ के लिए आवेदन-पत्र" लिखें और सहायक कार्मिक अधिकारी, भर्ती-1, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, ईसीआईएल डक, हैदराबाद-500062 को भेज दें जो दिनांक 07/12/2018 तक प्राप्त हो जाए। इस तिथि के बाद प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और आवेदन पत्र प्राप्त होने में हुई देरी के लिए नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र जवाबदेह नहीं होगा।)

5. कृपया नोट करें :

- (क) अस्पष्ट, अधूरे, बिना हस्ताक्षर वाले, निर्धारित प्रारूप में न होने पर, अभ्यर्थी का फोटो संलग्न न होने पर, प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न न होने पर और न निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (ख) अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें।
- (ग) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में भरे गए विवरण को अंतिम माना जाएगा एवं आवेदन पर आगे की कार्यवाही उसी विवरण के आधार की जाएगी। आवेदन पत्र में भरी गई गलत सूचना या अधूरी सूचना के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (घ) आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के पहले अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त पद के लिए वे पात्र हैं। आवेदन-पत्र का कोई भी संबंधित कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
- (ङ) केवल मानदंड पूरा कर लेने मात्र से अभ्यर्थी को साक्षात्कार/लिखित परीक्षा में बुलाए जाने का अधिकार नहीं होगा।
- (च) सूची तैयार करने की तिथि से 6 माह की अवधि के बाद अचयनित अभ्यर्थियों का रिकार्ड संरक्षित नहीं रखा जाएगा।

विज्ञापन, रोजगार समाचार पत्र में दिनांक 17/11/2018 को तथा राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 18/11/2018 को प्रकाशित किया गया है।
आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 07/12/2018 को इस कार्यालय के बंद होने के समय 16.45 बजे तक है।
इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
किसी भी रूप में सिफारिश को अयोग्यता समझा जाएगा।
इस अधिसूचना के कारण यदि कोई कानूनी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका न्यायिक क्षेत्र केवल हैदराबाद होगा और किसी विवाद के मामले में वेबसाइट www.nfc.gov.in पर डाले गए विज्ञापन एवं अधिसूचना के अंग्रेजी पाठ का संदर्भ लिया जाएगा।